न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 03 / 2021 दायरा दिनांक 07.07.2021

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

<u>उनवान</u>

अब्दुल गनी पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी भंवरगढ हाल मुकाम 6 ए 2 विज्ञान नगर योजना कोटा राज.

–अपीलाण्ट

बनाम

1. इब्राहिम पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला, बारां
2. इमरान पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला, बारां
3. इरफान पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला, बारां
4. जुम्मी पुत्री अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला, बारां
5. नसीरन पुत्री अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला, बारां
6. मोबीन पुत्री अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला, बारां
7. शमीम पत्नि स्व. अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला, बारां
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां – राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री रामकिशन नागर अभिभाषक अपीलान्ट।

श्री विजय प्रकाश नागर, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

<u>निर्णय</u> दिनांक 22.03.2022

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 3481 दिनांक 01.06.2016 ग्राम भंवरगढ</u>

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.06.2016 ग्राम भंवरगढ को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की [illegible] की गई।

वांके ग्राम भंवरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां [illegible] खसरा ख.नं. 1196 रकबा 0.06 हैक्ट0, ख.नं. 1211 रकबा 0.33 हैक्ट0, ख.नं. 1212 [illegible] 0.36 हैक्ट0 [illegible] किता 3 की 0.75 हैक्ट0 पुराना ख.नं. 616 रकबा 02.08 बीघा, ख.नं. 617 रकबा [illegible] बीघा, [illegible] किता 4 बीघा 13 बिस्वा [illegible] है। जो पूर्व में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट अब्दुल गनी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलान्ट के नाम का एक और दूसरा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु होने के पश्चात् उक्त मद नं. 1 में वर्णित आराजी में रेस्पोडेण्ट क्रम 8 ने एवं उसके अधीनस्थों ने अपीलान्ट की मृत्यु होने की उचित तरीके से जांच किये बिना रेस्पोडेण्ट्स को अपीलान्ट के वारिसान मौजद होना बताकर जल्दबाजी में एक दिन राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान दिनांक 01.06.2016 को नामान्तरकरण संख्या 3481 अपीलान्ट के स्थान पर रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 ता 7 के नाम खोलकर तस्दीक कर दिया जबकि दिनांक 01.06.2016 के दिन अलीपान्ट जीवित मौजूद था और अपीलान्ट की मृत्यु नहीं हुई थी इसलिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 3481 दिनांक 01.06.2016 प्रारम्भ से ही नल एण्ड वोइड होने से निरस्त किये जाने काबिल है। नामान्तरकरण संख्या 3481 दिनांक 01.06.2016 से रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 ता 7 को जीवित अपीलान्ट अब्दुल गनी के सुलभी वारिसान बतौर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। जबकि रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 7 दूसरे अब्दुल गनी की सन्तानें है जिनका उक्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए भी उक्त नामान्तरकरण संख्या 3481 दिनांक 01.06.2016 निरस्त किये जाने काबिल है। अपील की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में जीवित खातेदार अपीलान्ट का फोती नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 7 के नाम खोलकर तस्दीक नहीं किया जाना चाहिए था। क्योंकि अपीलान्ट उस समय जीवित मौजूद था। अब्दुल गनी नाम दूसरा व्यक्ति था जो उस समय फोत हुआ था उसी की आराजी में रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 ता 7 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। इसलिए भी अपीलान्ट के खाते दर्ज मद नमबर 1 की आराजी में रेस्पोडेण्ट क्रम 8 द्वारा अवैधानिक तरीके से तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 3481 दिनांक 01.06.2016 निरस्तनीय है। अपील में मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 7 का नाम अवैधानिक नामान्तरकरण संख्या 3481 दिनांक 01.06.2016 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाने एवं अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं होने के कारण रेस्पोडेण्ट क्रम 2 ता 7 के खाते की आराजी पर जबरन कब्जा कर अपीलान्ट को वे कब्जा कर सकते है। ऐसी स्थिति में दिनांक 01.06.2016 को तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 3481 निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 3481 दिनांक 01.06.2016 की जानकारी हल्का पटवारी से नकल लेने पर दिनांक 24.06.2021 को हुई और उसी समय अपीलाण्ट ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील आज अविलम्बर जर्ये अधिवक्ता पेश की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय लिमिटेशन एक्ट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट के नाम का एक और दूसरा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु होने के पश्चात् उक्त मद नं. 1 में वर्णित आराजी में रेस्पोडेण्ट क्रम 8 ने एवं उसके अधीनस्थों ने अपीलान्ट की मृत्यु होने की उचित तरीके से जांच किये बिना रेस्पोडेण्ट्स को अपीलान्ट के वारिसान मौजद होना बताकर जल्दबाजी में एक दिन राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान दिनांक 01.06.2016 को नामान्तरकरण संख्या 3481 अपीलान्ट के स्थान पर रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 ता 7 के नाम खोलकर तस्दीक कर दिया जबकि दिनांक 01.06.2016 के दिन अलीपान्ट जीवित मौजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested

था और अपीलान्ट की मृत्यु नहीं हुई थी इसलिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 3481 दिनांक 01.06.2016 प्रारम्भ से ही नल एण्ड वोइड होने से निरस्त है। नामान्तरकरण संख्या 3481 दिनांक 01.06.2016 से रेस्पोडेण्ट्स क्रम 1 ता 7 को जीवित अपीलान्ट अब्दुल गनी के सुलभी वारिसान बतौर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। जबकि रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 7 दूसरे अब्दुल गनी की सन्तानें है जिनका उक्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है।

उक्त आराजी में मद नं 1 के वारिसान के नाम तस्दीक न कर रेस्पोडेण्ट के नाम तस्दीक कर दिया गया। तथा अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण में अंकित नहीं किया गया है फोत दर्शाया गया है। जो विधिक रूप से सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का नाम फोत कर दिया जाना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम भंवरगढ का इंतकाल नं. 3481 दिनांक 01.06.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से प्रकरण की भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार वास्तविक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। मूल इंतकाल नं. 3481 दिनांक 01.06.2016 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहाबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:53 IST
Reason: SelfAttested